

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 233/3034/2018/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4/2/2019

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
भोपाल

विषय :- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग हेतु मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों में संशोधन।

विषयान्तर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अगले क्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को स्थापित करते हुए वित्तीय अधिकारों का निम्नानुसार प्रत्यायोजन किया जाता है :-

Department of Micro, Small & Medium Enterprises Delegation of Financial Powers - Volume II				
Sr No	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Condition
1	2	3	4	5
1	Disbursement of financial assistance to eligible industry.	General Manager	Full Powers	Subject to the approval of the District Level Assistance Committee (Constituted under the Chairmanship of Collector)/ Competent Authority.
2	Sanction of maintenance works in Industrial Areas.	Industries Commissioner	Up to Rs. 10 LAKH In each case.	
3	Sanction of infrastructure development works in Industrial Areas.	Industries Commissioner.	Up to Rs. 20 LAKH In each case	
4.	To sanction refund of revenue credited in favour of the department.	General Manager	Full Powers	Subject to observance of rules, regulations and verification by Treasury Officer.

5.	Powers to sanction - 1. Allotment of land in Industrial Areas for manufacturing purpose :	General Manager	Upto(s) 2 ha	Subject to Madhya Pradesh Rajya Audyogik Bhumi Evam Audyogik Bhawan Prabandhan Niyam - 2015 as amended from time to time.
		Zonal Industries Officer	2 to 4 ha	
		Industries Commissioner	4 to 8 ha	
		Administrative Deptt	Above 8 ha	
	2. Out Side Industrial Area (Departmental Land for manufacturing purpose)	Administrative Deptt	Full Powers	
	3. Land Allotment for amenities purpose	Administrative Deptt	Full Powers	
	4. Allotment of land in industrial area(s) for residential, commercial and ware housing purposes.	General Manager	Up to 100 sq m	
		Zonal Industries Officer	100 to 1000 sq mt	
		Industries Commissioner	1000 to 10000 sq mt	
		Administrative Deptt	Above 10000 sqmt	
	5. Allotment of departmental sheds/building in Industrial Area.	General Manager	Full Powers	
6.	To accept and release securities in connection with hiring of Industrial Estate and execution of contract.	General Manager	Full Powers	
7.	Sanction & Disbursement of subsidies under Self Employment Schemes.	General Manager	Full Powers	Subject to recommendation of TFAC and approval of Loan from the bank.
8.	Advance drawal of subsidy payable under Self Employment Scheme	Industries Commissioner	Full Powers	Subject to utilization of 90% of the earlier advance provided to respective nodal bank(s).

2. यह संशोधन, आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ- /3034/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 2019
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 2. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
 3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग



उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश
(एम.एस.एम.ई)


अरेरा हिल्स-1, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

फोन नं0 0755-2765819 फैक्स नं0 0755-2677943

पृ0क्रमांक 16/योव/(ब)/2018/ 197-269
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 11/02/2019

- 1- संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय इन्दौर/भोपाल /ग्वालियर/रीवा/जबलपुर/उज्जैन/सागर मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख है मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर भाग-2 में हुए संशोधन अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- समस्त महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र..... की ओर प्रेषित कर लेख है कि मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर भाग-2 में हुए संशोधन अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3- संयुक्त संचालक (वित्त) निजी कक्ष मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 1- समस्त उप/सहायक संचालक उद्योग मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(टी.एस. चिरंजे)
संयुक्त संचालक (वित्त)